संख्या- 48 /2020/ 891-ए/71-3-2020-एन0एम0-05/2018टी0सी0-1

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

2- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/ फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 04 सितम्बर, 2020**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/ फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर में कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं उपचार हेतु BIPAP एवं HFNC के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/ फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर में कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं उपचार हेतु BIPAP एवं High Flow Nasal Cannula (HFNC) उपकरण के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत उक्त मेडिकल कालेजों के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार कुल **रू0 2,42,50,000/- (रूपये दो करोड़ बयालिस लाख पचास हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मेडिकल कालेज का नाम	**BIPAP** (प्रति नग रू0 1.50 लाख)		**HFNC** (प्रति नग रू0 4.00 लाख)	
		क्रय मात्रा	स्वीकृत धनराशि	क्रय मात्रा	स्वीकृत धनराशि
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या	10	15.00	10	40.00
2	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती	10	15.00	10	40.00
3	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच	10	15.00	10	40.00
4	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।	04	06.00	06	24.00
5	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर।	05	7.50	10	40.00
	योग	**39**	**58.50**	**46**	**184.00**

(रू0 **58.50+184.00**=कुल रू0 **2,42,50,000/-)**

1. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-827/71-3-2020-कोविड-5/2020, दिनांक 31-07-2020 को निरस्त किया जाता है।
2. सुसंगत नियमों/प्राविधानों का पालन करते हुए नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जाये, समस्त उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रयकरने वाली संस्था की होगी।
3. BIPAP एवं High Flow Nasal Cannula (HFNC) मशीन के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य का होगा।
4. मशीन क्रय के उपरांत विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. उपकरणों के क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 सम्बन्धित संस्था को यथापेक्षित सहयोग प्रदान कर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया को पूर्ण करके किया जाएगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तथी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर/पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
10. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षों में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गयी तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-80-मेडिकल कालेज, अयोध्या, 81-मेडिकल कालेज, शाहजहॉपुर, 82-मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद,83-मेडिकल कालेज, बहराइच, 84-मेडिकल कालेज, बस्ती-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित गुप्ता)
सचिव।

संख्या:- 48/2020/ 891-ए (1)/71-3-2020 तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in